न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,प्रयागराज

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या–506 सन्– 2026

UPAD010041362026

विनोद कुमार पुत्र हीरा लाल, निवासी– ग्राम सलैया, थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज।

----------प्रार्थी

बनाम

1. चंद्र शेखर पटेल पुत्र लाल बहादुर पटेल
2. दो व्यक्ति अज्ञात

निवासीगण– ग्राम सलैया, थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज।

--------विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना–कोरांव, जनपद–प्रयागराज।

1. आवेदक विनोद कुमार द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी दिनांक 03.03.2026 को सायं 07.00 बजे अपने खेत में पानी लगाने गया था, उसी समय विपक्षीगण आकर उसको सिंचाई करने से रोकने लगे, उसने विरोध किया तो विपक्षीगण जातिसूचक गालियां देते हुए उसे मारने दौड़े तथा वह किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर भाग गया। विपक्षीगण तत्काल उसके घर चढ़ आये, उसके घर में घुसकर लाठी–डंडे, लात–घूसों से मारा–पीटा जिससे उसका दांत टूट गया व शरीर में काफी चोटें आयीं, बीच–बचाव करने उसकी पत्नी शीला देवी पहुंची तो उसे भी विपक्षीगण ने बाल पकड़कर घसीटा, लात–घूसों से मारा–पीटा, ब्लाउज फाड़ दिया जिससे लज्जा भंग हुयी, उसकी मोटरसाइकिल को भी तोड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना दिनांक 04.03.2026 को थाना कोरांव में जाकर दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 12.03.2026 को सहायक पुलिस आयुक्त मेजा व दिनांक 16.03.2026 को पुलिस आयुक्त प्रयागराज को प्रार्थनापत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थी ने दिनांक 30.03.2026 को जरिये रजिस्ट्री पुनः पुलिस आयुक्त प्रयागराज व पुलिस उपायुक्त यमुनानगर को प्रार्थनापत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त कथनों को संकथित करते हुए वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, थानाध्यक्ष कोरांव को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 04.03.2026 की छायाप्रति, श्रीमान् पुलिस आयुक्त प्रयागराज को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.03.2026 की छायाप्रति मय मूल डाक रसीद को संस्थित किया गया है।

4. प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी तथा थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखों में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. मैंने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में यह अभिकथन किया है कि विपक्षीगण दिनांक 03.03.2026 को उसे अपने खेत में सिंचाई करने से रोकने लगे, जातिसूचक

गालियां देते हुए मारने दौड़े जब प्रार्थी जान बचाकर अपने घर भाग आया तब उसके घर पर चढ़ आये, उसके घर में घुसकर लाठी–डंडे, लात–घूसों से मारा–पीटा जिससे उसे चोटें आयीं, उसकी पत्नी को भी बाल पकड़कर घसीटा, लात–घूसों से मारा–पीटा, ब्लाउज फाड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। प्रार्थी की ओर से उसे आयी चोटों के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी को घटना का दिनांक, समय, स्थान तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है जिसके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य देने में समर्थ है, अतः अन्वेषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी 2001 सप्लीमेंटरी एसीसी 957 व मुहम्मद यूनुस बनाम श्रीमती आफाक जहॉ व अन्य 2006 (1) एसीआरआर पेज 112 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद) व सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए0सी0सी0 739 (इलाहाबाद)* में निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में प्रार्थी को यह अवसर उपलब्ध है कि वह प्रार्थनापत्र में अभिकथित कथनों के जरिये परिवाद की प्रक्रिया द्वारा साबित कर सकता है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

एतद्द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 01.09.2026 को पेश हो। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत हो, प्रार्थी अपेक्षित पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
(जे.ओ.कोड यू. पी. 6278)

दिनांक– जून 18, 2026

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.06.18 16:39:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court